कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4) अकाद./निकाशि/2013–14 /541 दिनांकः 3, जून,2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय– कालेज शिक्षा विभाग के नवीन वेब पोर्टल पर आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित एडमिशन पृष्ठ को अद्यतन रखने बाबत

महोदय,

कालेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर के नवीन पोर्टल पर सभी राजकीय महाविद्यालयों का पृष्ठ उपलब्ध करवाए गए हैं। इस पोर्टल का पता अब http://dce.rajasthan.gov.in है। एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र तथा ऑनलाइन प्रवेश स्वीकार करने वाले महाविद्यालय दिनांक 24 व 27 मई 2013 को दिए गए प्रशिक्षण के निर्देशों एवं निदेशालय के द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशानुसार इस नवीन पोर्टल पर महाविद्यालय के एडमिशन पृष्ठ पर निम्नानुसार सामग्री दिनांक 3 जून, 2013 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें –

ऑनलाइन प्रवेश वाले राजकीय महाविद्यालय	एकीकृत प्रवेश आवेदन स्वीकार करने वाले महाविद्यालय
1 प्रवेश नीति 2013–14	1 महाविद्यालय की विवरणिका 2013–14
2 महाविद्यालय की विवरणिका 2013–14	2 महाविद्यालय में उपलब्ध पाठयक्रम एवं विषय संयोजन (अत्यावश्यक)
3 महाविद्यालय में उपलब्ध पाठयक्रम एवं विषय संयोजन	3 फीस का विवरण
4 फीस का विवरण	4 एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र (कॉमन एडमिशन फार्म) **(निदेशालय द्वारा प्रसारित)**
नोट :– आप निदेशालय प्रवेश प्रकोष्ठ से निरतंर सम्पर्क बनाये रखें।	5 एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र भाग अ भरने सम्बन्धी दिशा निर्देश **(निदेशालय द्वारा प्रसारित)**
	6 एकीकृत प्रवेश आवेदन के संबंध में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न **(निदेशालय द्वारा प्रसारित)**

उपरोक्त निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्रवेश समितियों के प्रभारियों व महाविद्यालय के वेब पोर्टल के प्रभारी को अविलम्ब निर्देशित करें तथा प्राचार्य स्वयं अपनी देखरेख में यह सुनिश्चित करें कि वेबपोर्टल पर महाविद्यालय से सम्बन्धित एडमिशन पृष्ठ पर सभी वाछित सूचनाएं अद्यतन कर दी गई है। समस्त सूचनाएं अद्यतन हो जाने के पश्चात ही महाविद्यालय से प्रस्थान करें।

(सी.एम.खटीक)
संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4) अकाद./निकाशि/2013–14 /542 दिनांकः 3, जून,2013

1 समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कालेज शिक्षा अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों में इन निर्देशों की पालना महाविद्यालय में फोन कर सुनिश्चित करवाए तथा अनुपालना की स्थिति से दिनांक 3 जून 2013 तक निदेशालय को अवगत करवाएं।

संयुक्त निदेशक (आयोजना)